आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

ज्माबंदी विखंडन वाद सं0–1/2010–11

नरेश मोहन मिश्र – अपीलार्थी

बनाम

जानकी मंडल वगैरह – उत्तरवादी

आदेश

29.1.12

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के जमाबंदी विखंड वाद सं0–01/10–11 अनुशंसा के साथ प्राप्त है।

इस वाद में आवेदक मिहिर कुमार पे0 नरेश मोहन मिश्र ग्राम शिरनियाँ, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया तथा प्रतिवादी जानकी मंडल पे0 बुलाकी मंडल, ग्राम–देह वो जवाहर यादव पे0 स्व0 गजेन्द्र यादव वो विनोद मंडल पे0 स्व0 भागवत मंडल ग्राम–मुश्कीपुर कोठी थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया है।

विवादी भूमि का व्यौरा निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वी0क0धू0धू0
लतरा	203	61	00–11–12–00
		66	03–07–06–00
		82	01–14–00–00
		131	01–09–16–00

विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने अपने न्यायालय में उभय पक्ष के बहस सुनकर, पक्षकारों द्वारा दाखिल कागजातों एवं अभिलेख के परिशिलन के उपरांत निम्नलिखित तथ्यों के साथ जमावंदी रद्द हेतु अनुशंसा भेजी है :–

1. हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा कठघरा (पूर्व में मौजा लतारा नाम से परिचित जैसा कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने अभिलेख में उल्लेख किया है) थाना 325 तौजी नं0 525 रकवा 14–15–16–00 की जमाबंदी सं0 35 मिहिर कुमार मिश्र पे0 नरेश मोहन मिश्र साकिन शिरनियाँ के नाम से चल रही है तथा लगान वर्ष 2008–09 तक वसूल है जिसमें खाता खेसरा दर्ज नहीं है। मौजा कठघरा थाना 325 तौजी नं0 525 जमाबंदी नं0 42 जानकी मंडल पे0 बुलाकी मंडल साकिन देह खाता 203 खेसरा 61, 66, 82, 131 दर्ज है तथा वर्ष 2008–09 तक लगान वसूल है। जमाबंदी सं0–42 से केवाला सं0 726 दिनांक–19.03.2007 द्वारा जवाहर यादव पे0 राजेन्द्र यादव साकिन– अईन्द को खाता 203 खेसरा 66 रकवा 01–00–00–00 बिक्री की गयी है। उक्त जमीन के चौहद्दीदारों से पूछ–ताछ करने पर बताया गया कि जमाबंदी सं0 35 के रैयत ही जमीन पर दखलकार है। कुछ भागों पर जवाहर यादव पे0 राजन्द्र यादव कभी–कभी बौग कर फसल काटते हैं।

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

आगे हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी सं0 42 के उत्तराधिकारी से पूछ–ताछ करने पर बताया गया कि यह हमारा खतियानी जमीन है, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

2. अंचल कार्यालय, गोगरी के जमाबंदी कायम वाद सं0–6/90–91 विनोद मंडल पे0 भागवत मंडल साकिन मुश्कीपुर कोठी थाना–गोगरी, (जानकी मंडल के पोता) के आवेदन पत्र पर संधारित हुआ है जिसमें निम्न भूमि पर जमाबंदी कायम हेतु आवेदक विनोद मंडल द्वारा दाखिल किया गया था जिसकी कार्यवाही अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक–20.03.1993 को समाप्त कर दिया गया है जिसमें नरेश मोहन मिश्र पे0 स्व0 बटेश्वर मिश्र, साकिन–शिरनियॉ के नाम भी सूचना निर्गत की गयी है।

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा वी0क0ध्0ध्0
कटघरा	203	61, 66, 82, 131	07–02–14–00

जमाबंदी कायम वाद सं0–6/90–91 की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति देखने से साफ तौर से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के पूर्वज के नाम प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संख्या 42 कायम नहीं थी। जमाबंदी कायम वाद सं0–6/90–91 में अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक–20.03.1993 को पारित आदेश के बाद प्रतिवादी द्वारा अवैध तरीके से पंजी II में जमाबंदी संख्या 42 दर्ज कराकर एक मुश्त मालगुजारी रसीद हासिल किया गया है। इस प्रकार गलत ढंग से प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारी को मेल में लागर एक सामानान्तर जमाबंदी सं0 42 बगैर किसी सक्षम प्राधिकार का आदेश का कायम करा लिया गया और एक विवाद को जन्म दे दिया गया है।

उक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी ने यह निष्कर्ष (Finding) दिया है कि जमाबंदी सं0–35 एक लम्बी अवधि से कायम है एवं जमाबंदी सं0–42 बगैर किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से कायम किया गया है जो विलकुल ही गैर कानूनी है। इसी निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने पंजी–2 में कायम जमाबंदी सं0–42 को विखंडित करने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय द्वारा भी उभय पक्ष को नोटिस देकर उनके विद्वान अधिवक्ताओं को सविस्तार सुना गया। पक्षकार द्वारा दाखिल कागजात जो अभिलेख में संधारित है का गहण विश्लेषण किया गया। प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में विवादित भूमि का खतियान जिस पर वे इस भूमि पर दावा करते है प्रस्तुत नहीं किया गया। अंचल अधिकारी, गोगरी द्वारा संधारित जमाबंदी कायम वाद सं0–6/90–91 की छाया प्रति का भी अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, गोगरी ने इस वाद की कार्यवाही एवं आदेश पारित करते हुए समाप्त कर दिया है कि जमाबंदी सुधार के लिए उनका न्यायालय सक्षम नहीं है।

जमाबंदी–2 में जमाबंदी सं0–42 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह जमाबंदी जानकी मंडल पिता बुलाकी मंडल सा0–देह के नाम से दर्ज है परंतु ' परिवर्तन के लिए प्राधिकार ' के कॉलम में किसी सक्षम प्राधिकार का आदेश

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

का उल्लेख नहीं है अर्थात किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही यह जमाबंदी संबंधित हल्का कर्मचारी द्वारा कायम कर दिया गया है। जमाबंदी पंजी के तहसील के वर्षो का वर्णनकॉलम में लाल स्याही से वर्ष 69–70 अंकित है परंतु उक्त वर्ष का लगान वसूली संबंधी कोई सूचना न ही लगान रसीद संख्या अंकित है। स्पष्ट है कि Back dating किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी की अनुशंसा से सहमत होते हुए इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि जमाबंदी सं0–42 किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही कायम कर दिया गया है जो अवैध है।

अतः बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9(1) के तहत जमाबंदी सं0–42 विधि के उल्लंघन कर कायम किए जाने के कारण रद्द किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को आदेश दिया जाता है कि संबंधित दोषी हल्का कर्मचारी की खोजबीन कर उनके विरूद्व प्रपत्र 'क' गठित कर भेजें। इसी आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

23/11/13

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

23/11/13

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।